<u>सूचना</u>

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की नौवी वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 24 सितम्बर 2024 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम न. 8, अलवर, राजस्थान-301001 पर निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है:

1. **31 मार्च**, **2024 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट**, **उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना**, **विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:**

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2024 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

2. **कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना: -**

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 9,20,754 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 73,66,032 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा इस राशि का भुगतान उन सदस्याओं को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्याओं के रजिस्टर में उलिखित हैं।

"3. श्रीमती सविता देवी (डीआईएन 10762144) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना जो कि श्रीमती कौशल्या देवी (डीआईएन 08961621) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए |

"**संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, **2013** के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों के साथ पठित धारा **152** और कंपनी अधिनियम, **2013** के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती कौशल्या देवी (डीआईएन **08961621) (**नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सविता देवी (डीआईएन 10762144) (वर्ग-ए का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

"4. श्रीमती सुमन कुमारी (डीआईएन 10762302) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना जो कि श्रीमती सुनीता बाई (डीआईएन 09312203) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए |

"**संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, **2013** के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों के साथ पठित धारा **152** और कंपनी अधिनियम, **2013** के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती सुनीता बाई (डीआईएन **09312203) (**नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सुमन कुमारी (डीआईएन 10762302) (वर्ग-ए का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

5. श्रीमती सरोज देवी (डीआईएन 10762476) (क्लास-ए का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना |

"यह संकल्प लिया गया कि श्रीमती सरोज देवी (डीआईएन: 10762476) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161, 378पी के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन के साथ) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

6. श्रीमती दया शर्मा (डीआईएन 10762534) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना |

"यह संकल्प लिया गया कि श्रीमती दया शर्मा (डीआईएन: 10762534) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161, 378पी के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन के साथ) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

7. श्रीमती गायत्री सिहाग (डीआईएन 10762543) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना |

“**यह संकल्प लिया गया कि** श्रीमती गायत्री सिहाग (डीआईएन: 10762543) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161, 378पी के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन के साथ) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

8. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना |

"**संकल्प किया गया कि**, कंपनी अधिनियम, **2013** के अध्याय **XXI-A** के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा **378H, 378ZQ, 378ZR** और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, **2013** और कंपनी के अंतर्नियमो एवं बहिर्नियमो के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी **13,00,00,0**00**/- (**केवल तेरह करोड़ रुपये) **13**,**00**,**00**0 इक्विटी शेयरों में विभाजित **100/- (**एक सौ रुपये) प्रत्येक से **25,00,00,000/- (**पच्चीस करोड़ रुपये) **25,00,000 (**पच्चीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित **100/- (**एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त **12,00,000 (**बारह लाख) रु.**100/- (**रुपये एक सौ) प्रत्येक के इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा बढाई जाती है |

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज **VI** को निम्नलिखित नए क्लॉज **VI** से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी **25,00,00,000** रुपये है। **(**पच्चीस करोड़ रुपये) जो कि **100/-** रुपये के (एक सौ रुपये) प्रत्येक के इक्विटी शेयरो में विभाजित है |”

आगे संकल्प किया गया है कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं |

9. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ सेकेंडमेंट समझौते पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना |

"**संकल्प लिया गया है कि** कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून / वैधानिक प्रावधान, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू है), कंपनी के सदस्यों की मंजूरी कंपनी को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने और सेकेंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन का अनुसमर्थन करने और लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने और/या जारी रखने सेकेंडमेंट व्यवस्था के लिए दी जाती है ।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए सामान्य बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, एनडीएस के साथ आवश्यक समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित करने के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

10. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और मंजूरी देना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना |

"**संकल्प लिया गया है कि** कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम**, 2013 ('**अधिनियम**')** के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार**,** अन्य लागू कानून / वैधानिक प्रावधान**,** यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित**,** जो फिलहाल लागू है)**,** कंपनी के सदस्यों की मंजूरी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस'**)** के साथ दिनांक **05** अप्रैल**, 2024** से दूध की आपूर्ति के लिए आपूर्ति समझौते किसी भी संशोधन**,** संशोधन सहित, विस्तार लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/ समझौते के लिए प्रदान की जाती है ।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो**,** एनडीएस के साथ आवश्यक समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित करने के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।**"**

11. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

"संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल**,** 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट**,** जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

धर्मेन्द्र कुमार

दिनांक: 30.08.2024

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्या एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्या के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्या को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम **48** घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।

2. सदस्याओं/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।

3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (**10.00** बजे से **17.00** बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

4. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।

5. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्या से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम **7** दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।

6. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्या कोड का उल्लेख करें।

7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।

8. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं|

9. बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

10. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए आसान स्थान के लिए प्रमुख लेंडमार्क के साथ एक रूट मैप वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **378ZA(4)(c)** के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या 3,4,5,6,7

नाम	**व्यवसाय**	**शेक्षणिक योग्यता**
श्रीमती सविता देवी	पशुपालन और डेयरी	स्नातक
श्रीमती सुमन कुमारी	पशुपालन और डेयरी	स्नातक
श्रीमती सरोज देवी	पशुपालन और डेयरी	सेकेंडरी
श्रीमती दया शर्मा	पशुपालन और डेयरी	स्नातक
श्रीमती गायत्री सिहाग	पशुपालन और डेयरी	स्नातक

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

धर्मेन्द्र कुमार

दिनांक: 30.08.2024

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 8

कंपनी की वर्तमान अधिकृत पूंजी रु.**13,00,000,000/- (**तेरह करोड़ रुपये) है**,** और इसकी जारी**,** सदस्यता और चुकता शेयर पूंजी रु. **9.71** करोड़ (नौ करोड़ इकेत्तर लाख रुपये) है । अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अपने विकास और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को अपनी चुकता शेयर पूंजी को 25 करोड (पच्चीस करोड़ रुपये) तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 25 करोड़ (पच्चीस करोड़ रुपये) करने का प्रस्ताव है। और उस प्रयोजन के लिए**,** कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को भी उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता होगी। जैसा कि साथ में नोटिस के मद संख्या 8 में संकल्प में निर्धारित किया गया है।

लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि संकल्प के निकाय में बताया गया है, कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में बदलाव के लिए सदस्याओं की मंजूरी लेने की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते है या संबंधित नहीं हैं।

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 9

कंपनी को शुरुआत से ही सेवाओं के संपूर्ण दायरे को कवर करते हुए एनडीएस द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी, जिसका उद्देश्य डेयरी के क्षेत्रों में उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों को बढ़ावा देना है। एनडीएस ने कंपनी के निदेशकों को प्रशासन, संस्था निर्माण, वित्तीय और परिचालन मामलों पर शिक्षित करने में कंपनी की मदद की। भारत में डेयरी उद्योग में तेजी से बदलते वाणिज्यिक और आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कंपनी को एक मुख्य कार्यकारी ("सीई") की आवश्यकता है, जिसके पास कंपनी की वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को संभालने में विशेषज्ञता हो। किसानों के स्वामित्व वाले ग्रामीण स्टार्ट-अप के लिए सीई के रूप में काम करने के इच्छुक प्रतिभाशाली पेशेवरों का चयन करने के लिए, कंपनी ने एनडीएस के साथ एक व्यवस्था की है, जहां एनडीएस के तहत कंपनी के सीई के रूप में बोर्ड द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए एनडीएस के एक कर्मचारी को चुना जाएगा। इससे कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए सीई की नियुक्ति में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। बोर्ड ने 18 मई, 2024 को आयोजित अपनी 52वीं बैठक में एनडीएस के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था में प्रवेश करने की मंज़ूरी दे दी है और अध्यक्ष को सेकेंडमेंट व्यवस्था निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

एनडीएस के साथ सेकेंडमेंट समझौते की प्रमुख शर्तों में से एक यह है कि इस व्यवस्था को कंपनी की अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंज़ूरी लेनी होगी। समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

1) शामिल पक्ष: एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली, भारत में पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी और सखी एमएमपीसीएल।

2) समझौता निष्पादन की तारीख से प्रभावी हो जाता है और एक सामान्य बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है।

3) कंपनी का सीई के काम पर पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा और सीई कंपनी के सीई के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के कार्य नियमों और नीतियों का पालन करेगा।

4) एनडीएस द्वारा प्रदान की गई सीई की सेवाओं पर विचार करते हुए कंपनी, एनडीएस को सभी कर्मचारी-संबंधी खर्चों और एनडीएस द्वारा सीई को भुगतान किए गए वेतन को कवर करने के लिए फीस का भुगतान करेगी।

5) कोई भी पक्ष लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है, हालांकि, यदि एमपीसी समझौते को समाप्त करना चाहती है तो उसे आम बैठक में कंपनी के सदस्यों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।

6) कंपनी सेकेंडमेंट के दौरान असाइनी के कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के खिलाफ एनडीएस की क्षतिपूर्ति करेगी।

समझौते की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आम बैठक की तारीख तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 9 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते है या संबंधित नहीं हैं।

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 10

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के भाग IX-A के तहत 19 मार्च, 2016 को एक उत्पादक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है।

कंपनी के उद्देश्य में मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के दूध और दूध उत्पादों की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण, उसका विपणन और उन गतिविधियों में व्यवहार करना शामिल है जो प्राथमिक उत्पादन से संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा हैं या उससे संबंधित हैं।

कंपनी निगमन के बाद से मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को खरीदे गए दूध की आपूर्ति कर रही थी। एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, कंपनी के निगमन के बाद से कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। मदर डेयरी के साथ दूध आपूर्ति समझौता 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया।

अप्रैल 2024 से कंपनी ने दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है। समझौते की मुख्य विशेषताएं हैं:-

1) लाभकारी उत्पादक मूल्य को प्रमुख प्रतिस्पर्धियो के साथ बेंचमार्क किया गया।
2) गुणवत्ता और संस्थागत मापदंडों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन।
3) समय पर भुगतान |
4) अनुमानित मात्रा खरीदने की प्रतिबद्धता।
5) साल भर बाजार पहुंच।
6) परस्पर सहमत ओवरहेड्स और मार्जिन।

निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2024 को दूध की आपूर्ति के लिए एनडीएस के साथ समझौते को मंजूरी दे दी, तदनुसार, कंपनी ने दूध की आपूर्ति के लिए 05 अप्रैल, 2024 को एनडीएस के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने दिनांक 7 अप्रैल, 2024 से दैनिक आधार पर एनडीएस को दूध की आपूर्ति शुरू कर दी है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 10 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते है या संबंधित नहीं हैं।